विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	शहरी विकास विभाग
प्रश्न संख्या अतारांकित	:	2010
उतर की तिथि	:	08.03.2022
विषय	:	आवास आबंटन
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री जगत सिंह नेगी(किन्नौर)
सम्बन्धित मंत्री	:	शहरी विकास मंत्री।

प्रश्न	उतर
(क) शिमला शहर में कितने लोग बेघर हैं; अब तक कितने बेघरों को विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत आवास आबंटित किए गए हैं; और	
(ख) गत 3 वर्षों में दिनांक 01.02.2022 तक शिमला शहर में विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि उपलब्ध थी व कितने आवास बनाकर कितने बेघरों को दिए गए; ब्यौरा वर्षवार, लाभार्थियों के नाम व पते सहित दें?	(क) व (ख) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 2010, जो श्री जगत सिंह नेगी(किन्नौर) द्वारा '' आवास आबंटन'' बारे पूछा गया है, का उत्तरः–

(क) शिमला शहर में 278 बेघर लोग पाये गए है। अब तक नगर निगम शिमला द्वारा 94 आवासीय **इकाइयो** को बेघर शहरी गरीब लोगो को ढल्ली मे आवटित कर दिया गया है। 184 बेघर लोगों के लिए मल्याणा में भूमि का चयन किया गया है। जिसे पीपीपी मोड़ पर बनाना प्रस्तावित है।

(ख) गत तीन वर्षो में नगर निगम शिमला को बेघर लोगों के आवास निमार्ण हेतू कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं हुई है। अतः इस के अन्तर्गत गत तीन वर्षो मे कोई धन राशि उपलब्ध नही हुई है। भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबो के लिए आवसीय ईकाइयां बनाने के लिए आशियाना–II परियोजना स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना के अन्तर्गत नगर निगम शिमला द्वारा ढल्ली मे 2020–21 मे 32 आवासीय इकाइयों को शहरी गरीबो को आवंटित कर दिया गया है। जिनकी सूची अनुबध "**क**" पर संलग्न है।

अनुबन्ध क

List of Beneficiaries allotted dwelling units under Ashiana-II Project at Dhalli Shimla in the year 2020-21

1	Sh. Manjeet Singh	S/o Sh. Saran Singh	R/o House No.115 krishna Nagar Shimla-1
2	Santosh Kumar	S/o Ram Sufal	R/o Near Ritz Cinema The Ridge Shimla
3	Sh. Suresh	S/o Masih Charan	Auckland house School, Lakkar Bazar, Shimla.
4	Sh. Vijay Kumar	S/o Sh. Surender Kumar,	R/o MC Building, 12 Ghar Ki line, Ruldu Bhatta Lakkar Bazar.
5	Sh. Vijay Kumar	S/o Ram Dayal	R/o Ambika Bhawan, Near Punjab National Bank, Tutu Shimla.
6	Sh. Rakesh kumar	S/o Paras Ram	Arcadia Koth, Ought House, Boileauganj, Shimla.
7	Smt. Reena	W/o Raj Kumar,	Kacha Makhan, Near lal Kothi, Phagli, Shimla.
8	Smt. Ram Kaur	W/o Lt. Darshan Singh	House No. 115/1, Krishna nagar Shimla.
9	Harjeet Kaur	W/o Lt. Sh. Raghuvir Singh	House No-109, Krishna nagar Shimla.
10	Sh. Rakesh	S/o Sh. Gurdas Singh	R/o 309/1, Sikh Line,Near Vetenary Hospital, Krishna Nagar, Shimla.
11	Smt. Mamta Devi	W/o Balraj	Shed Below Old Abkari lal Pani, Shimla.
12	Sh. Rinku	S/o Jai Parkash	House No-1, Block-A, Darni Bagicha, Bye Pass Road Lalpani, Shimla.
13	Smt. Shobha Devi	W/o Lt. Devi Raj	House No. 25 Galli No.7, Near Plaza Hotel, Middle Bazar, Shimla.
14	Smt. Veena ,	W/o Shiv Nath	House No-7, Pusharthi Basti, Lower bazar, Shimla.
15	Smt. Guddi Devi	W/o Sh. Ashok Kumar,	C/o Amar Dhaba 16 Lakkar Bazar, Post office Shimla
16	Sh. Gopal Krishan	S/o lt. Sh. Sant Ram	Hotel Palace Near IGMC, Shimla.
17	Sh. Harish Kumar	S/o Sh. Mela Ram	R/o House No-18/4,Block No-42 US Club,Shimla.
18	Smt. Samar Khan	W/o Lt. Noor Mohammad	R/o Muja Mal Bulding, Near ICICI ATM Sanjauli, Shimla.
19	Smt. Santosh	W/o Lt. Vijay	R/o Kapur Bhawan, Dyton Beer khana, Khalini Shimla.
20	Smt. Geeta Gupta	W/o Ram Sumiran	R/o Kamal Niwas, Near Laxmi Naryan Mander Sanjauli, Shimla.
21	Jaspal	Sh. Naja Ram	Jagdish Niwas, Chlaonti, Snajauli,Shimla.
22	Neena Thakur	D/O Ram Sharan Kanwar	Kanwar Niwas, Inder nagar, Dhalli, Shimla

23	Sh. Satya Veer Singh	S/o Mahaveer	R/o Salaughter House Building, Near Police Station, Dhalli, Shimla.
24	Smt. Niki Devi	W/o Sh. Kala Ram	R/o Munshi Niwas, Chaulauthi sanjauli Shimla
25	Smt. Bala ,	W/o Rama nand	Shri Ramanand Alen Bank, Qutter No.7 Chhota Shimla.
26	Sh. Raman Thakur	S/o Lt. Sh. Puran Singh	R/o Town Daulat Asharam Ruldu Bhata Lakkar Bazar Shimla
27	Smt. Balvinder Kaur	W/o Om Prakash	R/o Saini Niwas, Sector-1, New Shimla.
28	Sh. Dharmender Sharma	S/o Sh. Baij nath	R/o Kanta Niwas, Near Sanjay Gandhi Public School,Sec-2 New Shimla, Patyog, Rajhana, Shimla.
29	Smt. Santosh	W/o Lt . Sh. Kundan Singh	Prakash Bhawan, Near, Govt. School, Bhagwati Nagar,Khalini, Shimla.
30	Smt. Jamna Devi	W/o Lt. Sh. Prakash Chand ,	Near KNH, House No. 19 Kennal Worth Kothi, Shimla.
31	Sh. Inder Mohan	S/o Lt. Sh. Som Nath	House No.6, Durga Cottage, Kanlog, Shimla.
32	Ms. Hem Lata,	D/o Sh. Prem Dass	Khanna Building, Near. K.N.H, Shimla.

वर्तमान में नगर निगम शिमला द्वारा शिमला शहर में निम्न 3 रैन बसेरा नगर निगम शिमला द्वारा संचालित किए जा रहे है :–

क्र0	रैन बसेरा का पता	रैन बसेरा में उपलब्ध सुविधाएं
1	रैन बसेरा, नजदीक आकलैंड टनल, लक्कड़ बाजार शिमला।	बिस्तर (बैड, रजाई, कम्बल, बैड–शीट, तकिया) बिजली–पानी, शौचालय, स्नानघर, हिटर, गीजर और भोजन की सुविधा यदि आवश्यकता हो।
2	कोट हिल, लक्कड़ बाजार शिमला।	बिस्तर (बैड, रजाई, कम्बल, बैड–शीट, तकिया) बिजली–पानी, शौचालय, स्नानघर, हिटर और भोजन की सुविधा यदि आवश्यकता हो।
3	लेबर होस्टल, चौड़ा मैदान शिमला।	बिस्तर (बैड, रजाई, कम्बल, बैड–शीट, तकिया) बिजली (पंखे व लाईट), पानी, शौचालय, स्नानघर।

इन रैन बसेरा में कोई भी बेघर लोग ठहर सकते हैं। शिमला शहर में अन्य कोई रैन बसेरा निर्माणाधीन नहीं है किन्तु रैन बसेरा, नजदीक आकलैंड टनल का नवीनीकरण प्रस्तावित हैं।

अतिरिक्त सूचना

शिमला शहर में आवंटन योग्य पूल के अंतर्गत ऐसी कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी) को लागू किया जा रहा है, योजना की विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार से है: -

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) :- शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों के पास आवास की कमी रहती है और पक्के आवास का होना तो गरीबों के लिए सपने जैसा है। गरीब लोगों के इस सपने को पूरा करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आरम्भ की गयी है। इस योजना के अंतर्गत 3,00,000/– रुपये की वार्षिक आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर आवासहीन परिवार को शामिल किया गया है। योजना 90:10 वित्त के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है।

इस मिशन को चार विकल्पों के माध्यम से लागू किया जा रहा है जोकि इस प्रकार है :-

1. **लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण अथवा विस्तार:-** इस विकल्प का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.) परिवारों को स्वंय उनके द्वारा नए आवासों के निर्माण अथवा मौजूदा आवास के विस्तार के लिए दिया जायेगा | इस विकल्प के अंतर्गत ऐसे परिवार नए आवासों के निर्माण अथवा मौजूदा आवास के विस्तार के लिए आवास निर्माण हेतु कुल 1.85 लाख रूपये की राशी दी जाती है जिसमे से 1.50 लाख रूपये केंद्र सरकार व् 35,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाते है। नए आवास के निर्माण के लिए उनके पास 30 वर्ग मीटर तक के मकान बनाने लायक अपनी जमीन होनी चाहिए। आवास के निर्माण की प्रगति के अनुरूप धन राशी चार किश्तों में लाभार्थी के खाते में दी जाती है।
2. **ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना (सी.एल.एस.एस.):-** यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें लाभार्थी बैंकों में स्थानीय नगर निकायों के सहयोग से ऋण के लिए अवेदान कर सकतें हैं। इस विकल्प में नए आवासों के निर्माण और आवासों के विस्तार के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.) एवं निम्न आय वर्ग (एल. आई. जी.) के अन्तर्गत आने वाले लोगों के लिए ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। लाभार्थी 6.5 % ब्याज सब्सिडी छूट दरों पर 15 वर्षो की अवधि के लिए 6 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 3,00,000 रू. (तीन लाख रू.) तक की वार्षिक आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.) परिवारों को 30 वर्ग मीटर आकार तक के आवास का प्रावधान है तथा 3,00,001 रू. (तीन लाख एक रू.) से 6,00,000 रू. (6 लाख रू.) तक की वार्षिक आय वाले निम्न आय वर्ग (एल. आई. जी.) परिवारों को 60 वर्ग मीटर आकार तक के आवास का प्रावधान है।

3. **भागदारी में किफ़ायती आवास (ए.एच.पी.):-**नगर निकाय किफ़ायती दर पर ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के लिए आवासों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी के माध्यम से, किफ़ायती आवास परियोजना की योजना तैयार कर सकते हैं |इसमें निजि क्षेत्र के भागीदार से बनाये गए आवासीय परिसर में 35 % मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.) परिवारों तथा निम्न आय वर्ग (एल. आई. जी.) परिवारों के लिए रखने पड़ेंगे |ऐसी परियोजनओं में 1.5 लाख रुपये की दर से केंद्रीय सहायता सभी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के आवासों के लिए उपलब्ध है।
4. **"स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (इन-सिटू स्लम रिडेवलपमेंट):-**इस विकल्प को लागू करने के लिए भूमि का उपयोग संसाधन के रूप में किया जायेगा, जिसमें निजी भागीदारी के सहयोग से उसी स्थान पर क्रियान्वित किया जायेगा। इस विकल्प के अन्तर्गत सरकार द्वारा 1 लाख रूपये की सहायता इ. डब्ल्यू. एस. (EWS) लोगों के आवासों के निर्माण के लिए दी जाएगी।

आवदेन की प्रक्रिया:- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी/पात्र परिवार उपरोक्त चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का लाभ उठा सकते हैं|लाभार्थी/पात्र परिवार साधारण कागज पर अपना आवदेन प्रमाण पत्र/शपथ पत्र (जिसमें साफ-साफ लिखा हो की आवदेक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य का भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं है) नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत में जमा करा सकते हैं| लाभार्थियों की पहचान करने के लिए नगर निकायों द्वारा समय समय पर सर्वेक्षण किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत की गई प्रगति का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

- इस योजना के लाभार्थी आधारित निर्माण घटक (Beneficiary Led Construction Component) के अंतर्गत वर्ष 2016 से 15 फ़रवरी 2022 तक कुल 10614 आवास स्वीकृत किए है।
- आवास निर्माण हेतु कुल 1.85 लाख रूपये की राशी दी जाती है जिसमे से 1.50 लाख रूपये केंद्र सरकार व् 35,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाते है।
- अभी तक कुल 182.70 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसमे से 98.14 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। इस राशी में से 97.90 करोड़ की राशि आवास निर्माण हेतु खर्च की जा चुकी है।
- भारत सरकार द्वारा धनराशि तीन किश्तों (40:40:30) में जारी की जाती है
- स्वीकृत किये गये घरों में से 4407 घरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। तथा शेष घरों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है।

कुल स्वीकृत घर	कुल पूर्ण किये गए आवास	छत के स्तर पर (Roof Level)	लिंटल स्तर पर (Lintel level)	नींव स्तर पर (Foundation Level)	प्रथम स्तर पर Geo Tagged आवास
10614	4407	1161	888	1026	3132

- **Credit Linked Subsidy Scheme** के तहत 1569 लाभार्थिओं का चयन किया गया है जिनमें से विभिन्न बैंकों के माध्यम से 1569 लाभार्थिओं को मकान बनाने हेतु ब्याज़ आधारित ऋण सब्सिडी दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री आवास योजना को शहरी विकास विभाग के द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है।